

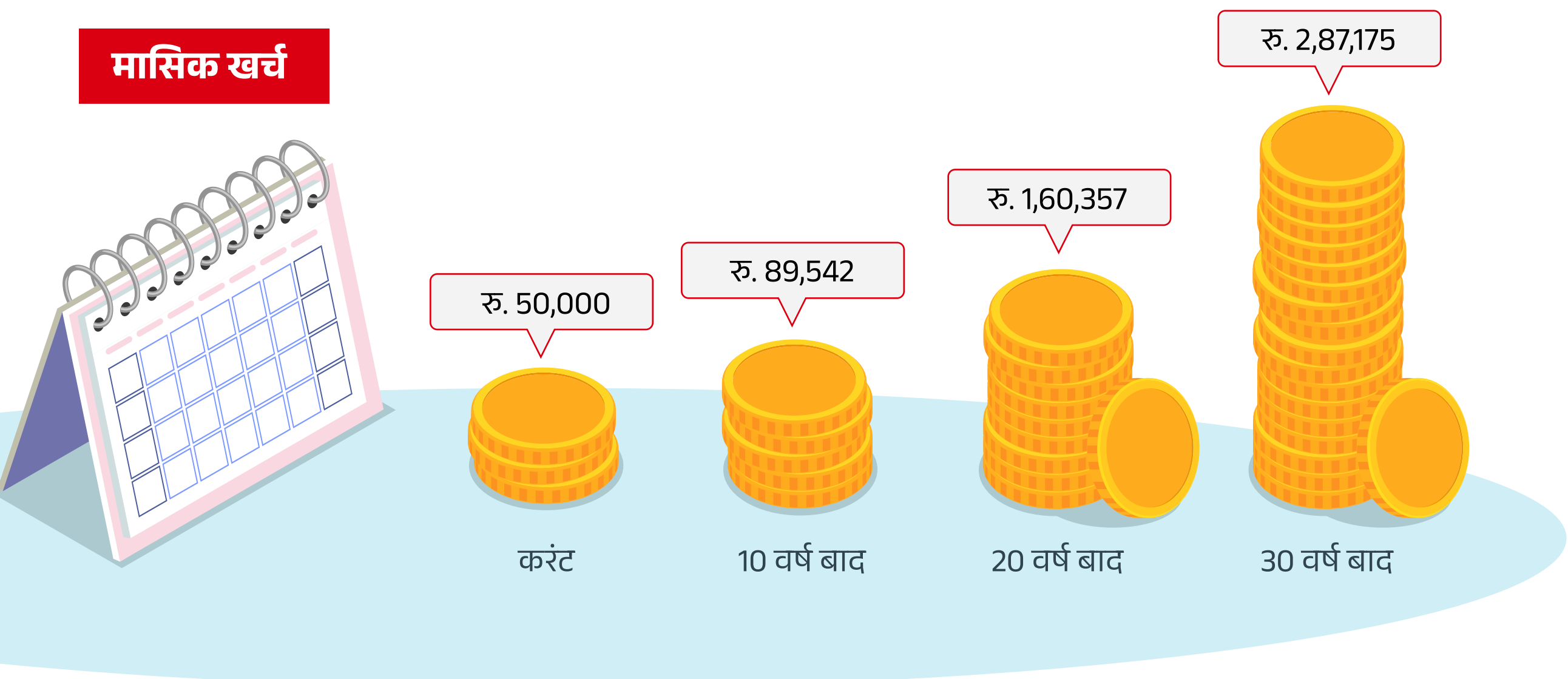
क्या आप रिटायर होने या जीवन शुरू करने की योजना बना रहे हैं?

एसआईपी के माध्यम से हर महीने निवेश की गई छोटी राशि से भविष्य सुखद बनाया जा सकता है।



हममें से अधिकांश लोगों के लिए रिटायरमेंट ६० वर्ष की उम्र से शुरू होती है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब रिटायर हुए, महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने स्वर्णिम वर्षों में एक स्थिर आय सुनिश्चित करने के लिए पहले से योजना बना लें। और एक बड़ी रिटायरमेंट निधि बनाने का सबसे अच्छा तरीका है जल्दी निवेश शुरू करना। म्यूचुअल फंड में व्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी) के माध्यम से आप मुद्रास्फीति को मात देने के उद्देश्य से निवेश कर सकते हैं।

देखें कि ६% की मुद्रास्फीति समय के साथ आपके मासिक खर्चों को कैसे बढ़ा सकती है



देखें कि कैसे **12.62% के औसत वार्षिक रिटर्न** और **6% प्रति वर्ष की मुद्रास्फीति** पर **10,000 रुपये** की मासिक एसआईपी आपको 60 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्ति कोष प्राप्त करने में मदद कर सकती है

निवेश अवधि (साल)	कुल निवेश (₹.)	अनुमानित बाजार मूल्य (मुद्रास्फीति समायोजित) (₹.)
10	12,00,000	16,86,336
20	24,00,000	48,87,669
30	36,00,000	1,09,65,068

स्रोत - क्रिसिल रिसर्च, एचएसबीसी एमएफ, एमएफआई, बीएसई। डेटा अवधि १ जून २००४ से ३१ मई २०२४ तक। उदाहरण के लिए, बीएसई सेंसेक्स के १ जून २०१४ से ३१ मई २०२४ के बीच १०-वर्षीय रोलिंग रिटर्न का औसत लेते हुए औसत सीएजीआर रिटर्न १२.६२% है। उपरोक्त उदाहरण एमएफआई के सर्वोत्तम अभ्यास दिशानिर्देश परिपत्र संख्या १०९ दिनांक ०१ नवंबर, २०२३ के साथ १०९क दिनांक १० सितंबर, २०२४ को पढ़ा गया है और समय-समय पर चक्रवृद्धि ब्याज की अवधारणा को परिभाषित करने के लिए संशोधित किया गया है। पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रह सकता है या नहीं भी रह सकता है और यह किसी भी भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं है। निवेशकों को इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लेना चाहिए। एसआईपी रिटर्न के लिए हर महीने की पहली तारीख को १०,००० रुपये के मासिक निवेश को ध्यान में रखा गया है। एसआईपी रिटर्न की गणना सीएजीआर आधार पर की जाती है। अगर निवेशकों को इस बात पर संदेह हो कि प्रोडक्ट उनके लिए उपयुक्त है या नहीं, तो उन्हें अपने वित्तीय सलाहकारों से परामर्श करना चाहिए।

एसआईपी आपके लंबी अवधि के लक्ष्यों तक पहुँचना आसान बनाता है!

एचएसबीसी म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशकों को शिक्षित और जागरूक करने की पहल

वन टाइम नो योर कस्टमर (केवाईसी) प्रक्रिया, सेबी स्कोर (<https://www.scores.gov.in>) वन-टाइम नो योर कस्टमर (केवाईसी) प्रक्रिया, सेबी स्कोर (<https://scores.sebi.gov.in/scores-home>) सहित शिकायत निवारण प्रक्रिया। निवेशकों को केवल पंजीकृत म्यूचुअल फंड के साथ ही लेन-देन करना चाहिए, जिन्हें सेबी की वेबसाइट पर मध्यस्थ/बाजार अवसंरचना संस्थान (<https://www.sebi.gov.in/intermediaries.html>) के अंतर्गत सत्यापित किया जाना चाहिए। एचएसबीसी म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई सभी 'निवेशक शिक्षा और जागरूकता पहल' के बारे में जानकारी के लिए निवेशक एचएसबीसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर 'निवेशक शिक्षा' पर सेक्शन देख सकते हैं। केवल भारतीय अधिकार क्षेत्र में वितरण के लिए उद्देश्यित दस्तावेज़, भारत के बाहर या एनआरआई के लिए नहीं है। यदि भारत के बाहर किसी के द्वारा इस जानकारी का उपयोग किया जाता है तो एचएसबीसी एमएफ किसी भी उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए, वेबसाइट देखें।

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, योजना से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें।